संख्याः– 4145 / II–2011–04(39) / 2010

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

देहरादून, दिनांक 16 फरवरी, 2012

सिंचाई अनुभाग

विषयः एआईबीपी0 योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–4313/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 21.11.2011, पत्रसंख्या 4395/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 01.12.2011 व पत्र सं0–85/मुअवि/बजट/बी–1, सामान्य, दि0–07.01.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ–कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के पत्रसंख्या 10–15/2007–एम0आई0/810, दिनांक 18.11.2011 तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रसंख्या 41(1)/PF-I/2011-918 दिनांक 14.11.2011 के द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹ 230.02 लाख तथा केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि ₹ 14.58 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 244.60 लाख (₹ दो करोड़ चौवालीस लाख साठ हजार मात्र) निम्नलिखित तालिका एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजनाओं का विवरण	लागत	निर्धारित केन्द्रांश एवं राज्यांश		अब तक कुल व्यय धनराशि (माह 03/2011 तक)		अवशेष		अवमुक्त की जा रही धनराशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निर्माणाधीन योजनायें										
1	38 सं0 योजनायें	8094.05	7284.65	809.40	6964.28	815.59	291.08	00	98.82	00
2	13 सं0 योजनायें	2418.56	2176.70	241.86	2056.23	216.40	120.47	25.44	108.43	12.05
3	07 सं0 योजनायें	506.05	455.45	50.60	430.15	45.27	25.30	5.33	22.77	2.53
	योग	11018.66							230.02	14.58
	कुल योग (केन्द्रांश + राज्यांश)								244.60	

1. धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
2. योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
3. अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।
5. कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदपरोन्त ही कार्य करायें।
6. आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।
9. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः......2

10. कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
11. योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0195 ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 75/XXVII(2)/2010, दिनांक 10 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्याः–4145(1)/ II–2011–04(39)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. सीनियर, ज्वाईंट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।